संख्या: 33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2021

विषय:-गैर शीरा पदार्थो (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटीरियल)से एथनॉल उत्पादन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-85/दो-प्रा.डी.-805ए/पॉवर अल्कोहल, दिनांक 15.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आबकारी अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-15/2016-676ई-2/तेरह-2016-54/2014 दिनांक 18-03-2016 द्वारा प्रदेश में गैर शीरा पदार्थो (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटीरियल) से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राम (ई.बी.पी.) के अंतर्गत गैर शीरा पदार्थो से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन के साथ-साथ इन पदार्थो से औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन को भी अनुमन्य किया गया है। भारत सरकार की उक्त नीति एवं आपके उक्त पत्र दिनांक 15.02.2021 पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के व्यापक राजस्व हित एवं जनहित के दृष्टिगत उपरोक्त इंगित शासनादेश दिनांक 18-03-2016 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में गैर शीरा पदार्थो (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटीरियल) से दोनों प्रकार के अल्कोहल (अर्थात पेय मदिरा हेतु एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु) उत्पादन की अनुमन्यता एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में अनाज की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उक्त गैर शीरा पदार्थो से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु एथेंनाल उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित की जाएगी :-

(1) मौजूदा आसवनियों को दोहरी फीड डिस्टिलरियों में परिवर्तित किये जाने की अनुमति उसी अधिष्ठापित क्षमता में अथवा अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि कर सक्षम स्तर से निर्णयोपरान्त प्रदान की जायेगी, अर्थात

- शीरे से अल्कोहल का उत्पादन करने वाली पूर्व स्थापित आसवनियों को गैर शीरा पदार्थों **सोरगम स्टे/स्वीट सोरगम/चुकन्दर/आलू/अनाज)म आदि अन्य रा (मैटीरियल-**से दोनों प्रकार के अल्कोहल (अर्थात पेय मदिरा हेतु एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु) के निमित्त एथेंनाल उत्पादन की अनुमति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- गैर शीरा आधारित आसवनियों को दोहरी फीड आसवनियों में परिवर्तित किये जाने की अनुमति।

(2) प्रदेश में गैर शीरा पदार्थों **सोरगम स्टे/स्वीट सोरगम/चुकन्दर/आलू/अनाज)म आदि अन्य रा-(मैटीरियल**से पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन हेतु नई आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(3) नई दोहरी फीड आसवनियों की स्थापना की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(4) उपरोक्तानुसार आसवनियों/यवासवनियों(ब्रेवरीज) को गैर शीरा पदार्थों **(अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटीरियल)** से अल्कोहल उत्पादन की क्षमता का विस्तार किये जाने, पूर्व से स्थापित आसवनियों को दोहरी फीड डिस्टिलरियों में परिवर्तित किये जाने एवं नयी आसवनियों/यवासवनियों(ब्रेवरीज) की स्थापना की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाएगी:-

(क) अनुमति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्यक् परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(ख) आबकारी आयुक्त के स्तर से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों पर शासन स्तर पर विचार किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति का स्वरूप निम्नवत प्रस्तावित है:-

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग -- अध्यक्ष

(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो -- सदस्य

(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो -- सदस्य

(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो -- सदस्य

(v) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो -- सदस्य

(vi) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो -- सदस्य

(vii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो -- सदस्य

(viii) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश -- सदस्य

(ix) विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आबकारी विभाग -- सदस्य/संयोजक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) उक्त समिति द्वारा इकाई की आवश्यकतानुसार उसकी अधिष्ठापित क्षमता के निर्धारण, गैर शीरा पदार्थों (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि)/रा-मैटेरियल की उपलब्धता के आधार पर समस्त आवश्यक बिन्दुओं पर विचार करके अपनी संस्तुति उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर विभागीय मंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। आसवनी की पेय/औद्योगिक क्षमता का निर्धारण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(घ) नयी आसवनी की स्थापना/पूर्व स्थापित आसवनियों की क्षमता वृद्धि की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(i) नई औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन करने वाली आसवनी की स्थापना हेतु आई.डी.आर. एक्ट,1951 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित यथावश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराना आवश्यक होगा।

(ii) इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व पर्यावरण, वन एवं प्रदूषण नियंत्रण सहित विभिन्न अन्य नियमों/ अधिनियमों व स्थानीय विधि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ-साथ समस्त सुसंगत अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii) आवेदक पर कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(ड.) शासन द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर विहित प्रक्रियानुसार निर्धारित शर्तों/औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सुसंगत नियमों/अधिनियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत इकाई को आसवनी स्थापना हेतु अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा।

(च) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14-01-2021 के अनुक्रम में एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित की जाने वाली आसवनियों हेतु भूमि की व्यवस्था, इन्वायरमेंटल एवं अन्य प्रकार के क्लीयरेंस शीघ्र प्रदान किये जाने हेतु आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

(छ) भारत सरकार की अपेक्षानुसार उ.प्र. राज्य में एथनॉल उत्पादन एवं ई.बी.पी. के अंतर्गत आपूर्ति को सुगम करने, अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु निम्नानुसार एक स्टीयरिंग कमेटी गठित की जाती है:-

(i) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन -- अध्यक्ष

(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग -- सदस्य/ संयोजक

(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग -- सदस्य

(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग -- सदस्य

(v) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग -- सदस्य

(vi) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रसंस्करण विभाग	--	**सदस्य**
(vii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग	--	**सदस्य**
(viii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग	--	**सदस्य**
(ix) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	--	**सदस्य**
(x) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग	--	**सदस्य**
(xi) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	--	**सदस्य**
(xii) सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ	--	**सदस्य**
(xiii) महाप्रबन्धक एवं समायोजक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस.एल.बी.सी.)	--	**सदस्य**
(xiv) भारत सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी	--	**सदस्य**
(xv) ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज (आई.ओ.सी.एल./बी.पी.सी.एल./ एच.पी.सी.एल) के प्रतिनिधि	--	**सदस्य**
(xvi) इण्डियन शुगर मिल्स एसोशिएशन के प्रतिनिधि	--	**सदस्य**
(xvii) उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोशिएशन के प्रतिनिधि	--	**सदस्य**

उत्तर प्रदेश राज्य में ई.बी.पी. के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु उक्त स्टीयरिंग कमेटी की बैठकें नियमित अंतराल पर आहूत की जायेगी।

(ज) भारत सरकार द्वारा अनाज से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु निर्गत गाइड लाइन में समय-समय पर परिवर्तन करती रहती है। इस निमित्त अनाज से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किये जाने के बारे में निर्धारित व्यवस्था में संशोधन हेतु उक्तानुसार गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा ही विचार कर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी**)**
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 33/2021-810 ई-2/तेरह-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(i) स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

(ii) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग।

(iii) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग।

(iv) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ।

(vi) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग ।

(vii) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग।

(viii) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग ।

(ix) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग ।

(x) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग ।

(xi) सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ ।

(xii) महाप्रबन्धक एवं समायोजक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति(एस.एल.बी.सी.) ।

(xiii) भारत सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय।

(xiv) ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज(आई.ओ.सी.एल./बी.पी.सी.एल./एच.पी.सी.एल)एसोशिएशन ।

(xv) इण्डियन शुगर मिल्स एसोशिएशन ।

(xvi) उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोशिएशन ।

(xvii) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।